न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 71/2015

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 राधेश्याम पुत्र किशनाराम आयु 57 वर्ष जाति जांगिड़ निवासी ग्राम दूधवा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 नन्दलाल पुत्र बन्शीधर।
2 रघुवीर सिंह पुत्र बन्शीधर।
3 सीताराम पुत्र बन्शीधर समस्त जाति जांगिड़ निवासीगण दूधवा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
4 मन्जू देवी पुत्री बन्शीधर पत्नी सुशील कुमार जाति जांगिड़ निवासी कजोड़ किराणा स्टोर मण्डी गेट नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
5 उप पंजियक अधिकारी उप पंजियक कार्यालय दांतारामगढ़ तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
6 तहसीलदार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 29.05.2015 न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) दांतारामगढ़ बउनवानी प्रकरण राधेश्याम बनाम किस्तुरी देवी आदि आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा मु.नं. 356/2013

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थित

1. श्री निरजंन शर्मा अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री ताराचन्द यादव अधिवक्ता रेस्पोडेंट

--निर्णय--

दिनांकः– 29-2-19

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) दांतारामगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 356/2013 में पारित निर्णय दिनांक 29.05.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट ने विचारण न्यायालय में भूमि खसरा नम्बर 607,608,609,610,611,612,613 ग्राम दूधवा तहसील दांतरामगढ़ जिला सीकर के सन्दर्भ में आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने अप्रार्थी का जवाब प्राप्त कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से अपीलांट का आवेदन खारिज किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि जागीरदारी के समय से ही मेरे पूर्वज काश्त करते थे मेरे पिताजी के बड़े भाई नाराणा पुत्र श्योबक्शा ने साजिश करके गलत राजस्व रिकार्ड कायम करवा लिया अपीलांट मौके पर काबिज है खसरा गिरदावरी से इसकी पुष्टि होती है। विचारण न्यायालय ने इन पर विचार नही कर अपीलांट का आवेदन खारिज करने में विधि त्रुटि की है। अपील स्वीकार की जावें।

Lamb

प्रकरण अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेंट विवादित भूमियों का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है संवत 2009 से राजस्व रिकार्ड मेरे नाम है कब्जा काश्त है 2032 की गिरदावरी के एक साल के अंकन के आधार पर अपीलांट अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से रेस्पोडेंट विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होना प्रथम दृष्टया साबित है। वर्ष 2032 की खसरा गिरदावरी में अंकन के आधार पर अपीलांट का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त प्रथम दृष्टया अंकित है पक्षकारों के मध्य हक हकूक का निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य सुनवाई के उपरान्त होना शेष है पक्षकारों के मध्य वाद बाहुल्यता न हो इसे दृष्टिगत रखते हुये उभयपक्ष को विवादित भूमि के सन्दर्भ में मौके व रिकार्ड की यथास्थिति ताफैसला वाद बनाये रखने के लिये पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है विचारण न्यायालय ने इस पर गौर नही कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है जिसे विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं उभयपक्ष को ताफैसला वाद विवादित भूमि खसरा नम्बर 607,608,609,610,611?612,613 वाके ग्राम दूधवा तहसील दातारामगढ़ की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिये पाबन्द किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29-3-19 को सरे इजलास सुनाया गया।

29.3.19
(करतार सिंह पूनियाँ)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर